सं: 1043/6-पु-15/18

फैक्स/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या –1840/छ:–पु0–9–18–31(69)2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 **लखनऊ दिनांकः 31 अगस्त, 2018**

विषयः रिट याचिका संख्या (सिविल) संख्या–754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला बनाम भारत संघ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–पी0ओ0 (महत्वपूर्ण)/4180/2018 दिनांक 16.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो रिट याचिका (सिविल) संख्या–754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 17.07.2018 के अनुपालन में दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने विषयक है।

2. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त रिट याचिका मे पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में उक्त निर्णय के प्रस्तर–40(B) में अभियोजन विभाग से सम्बन्धित बिन्दु संख्या–5, 6, 7 एवं 8 के कम में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

(1) जनपदों में लिंचिंग व मॉब वाइलेन्स के मामलों के विनिर्दिष्ट विचारण हेतु न्यायालय/फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लिंचिंग और मॉब वाइलेन्स के मामलों को चिन्हित करते हुए उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य अभियोजन सेवा संवर्ग के अभियोजकों द्वारा विचारण यथासम्भव संज्ञान की तिथि से छः माह के भीतर पूर्ण कराने के समस्त प्रयास किये जाएँ तथा उक्त कार्यों का मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जाए।

(2) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में अभियोजन निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य अभियोजन सेवा संवर्ग के अभियोजक ऐसे प्रकरणों में अधिकतम दण्डादेश हेतु बहस करें तथा यथावश्यक दण्डादेश यदि उपयुक्त न प्रतीत हो, तो उक्त दण्डादेश की अभिवृद्धि हेतु सम्बन्धित न्यायालय में अपील संस्थित करे।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अभियोजन निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य अभियोजन सेवा संवर्ग के अभियोजकों को ऐसे संवेदनशील साक्षियों

Ashok Draft 7918

साक्षियों की सुरक्षा हेतु उपाय तथा उक्त हेतु सुसंगत आवेदन उचित मामलों में न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(4) मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अभियोजन निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य अभियोजन सेवा संवर्ग के अभियोजक ऐसे मामलों के साक्षियों को उनकी उपस्थिति पर न्यायिक प्रक्रिया के चरणों से (यथा जमानत, उन्मोचन, रिहाई, पैरोल इत्यादि की सूचना तथा उन्हें दोष–सिद्धि, दोष–मुक्ति या दण्डादेश पर लिखित कथन प्रस्तुत करने की सूचना) तथा पीड़ितो को प्राप्त उनके के अधिकार से परिचित करायेंगे।

कृपया उपरोक्त के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत संलग्न गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन संवर्ग, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा महानिदेशक अभियोजन)**
(9) गृह (पुलिस) अनुभाग–3 को उनके पत्र संख्या–1946पी/छः–पु0–3–2018–2(114)पी/2016 टीसी दिनांक 28.08.2018 के क्रम में ।
(10) गृह (पुलिस) अनुभाग–15 ।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव

Ashok Draft 7918